भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

<u>निगमित मानव संसाधन विभाग</u>

संख्या :A.60011/2/10-Disc/Vol-II/ 388 30 जुलाई, 2018

**क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक**
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
पूर्वी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र।

**कार्यपालक निदेशक**
आरसीडीयू/एफआईयू
भाविप्रा, नई दिल्ली।

**प्राचार्य,** सीएटीसी इलाहाबाद।

**निदेशक**, आईएए, नई दिल्ली।

**विमानपत्तन निदेशक**
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।
एनएससीबीआई-कोलकाता/ चेन्नई

**महाप्रबंधक**
सीआरएसडी/ई एंड एम
वर्कशॉप, भाविप्रा, नई दिल्ली।

विषय : विभागीय जांच करने हेतु जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों का पैनल बनाने के संबंध में ।

महोदय,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उप महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है जिन्हें विभागीय जांच में जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पात्रता हेतु आवश्यक विवरण एवं आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारी, जो पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता हो और विभागीय कार्यवाहियों में जांच अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करने के इच्छुक हैं, वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निगमित मानव संसाधन विभाग, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली को 17 अगस्त, 2018 तक जमा कर दें ।

3. उपरोक्त का व्यापक प्रचार किया जाए ।

संलग्न : यथोपरि .

भवदीय,

हस्ता
(निवेदिता दुबे)
महाप्रबंधक (मानवसंसाधन)

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

**निगमित मानव संसाधन विभाग**

**<u>अनुशासनिक प्रकोष्ठ</u>**

विषय: विभागीय जांच संचालन के लिए जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों का पैनल बनाने के संबंध में ।

**<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा)</u>**

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह अपेक्षा करता है कि निगमित मुख्यालय अथवा देश भर में स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किसी भी इकाई/कार्यालय में विभागीय जांच करने हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों का पैनल गठित किया जाए, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (ई-6) के पदनाम/रैंक से नीचे के न हों।

**<u>पैनल वैधता अवधि</u>**

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए बनाया गया पैनल अधिसूचित तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिसे निष्पादन की समीक्षा के उपरांत अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**<u>जांच अधिकारी के पैनल बनाने हेतु आवश्यक अर्हताएं</u>**

<u>आयु</u> : जांच अधिकारी के रूप में सेवा करने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी की आयु इस नोटिस की तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>शैक्षणिक योग्यता:</u> इंजीनियरिंग(किसी भी स्ट्रीम में) में स्नातक तथा/या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या कोई व्यावसायिक अर्हता जैसे विधि, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, वित्त, श्रम कानून में स्नातक ।

<u>सत्यनिष्ठा</u>: वह किसी भी लंबित जांच में आरोपी अधिकारी नहीं होना चाहिए और बेदाग ईमानदार होना चाहिए।

**<u>कार्य का अनुभव</u>**

i. ग्रुप-ए अधिकारी के रूप में सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों में अनुभव।

ii. अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रियाओं तथा भाविप्रा के आचरण नियमों की जानकारी होनी चाहिए ।

iii. विधिक प्रक्रियाओं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और मानव संसाधन मामलों की जानकारी होनी चाहिए।

iv. कंप्यूटर ज्ञान (एमएस ऑफिस) में दक्ष होना चाहिए ।

**पारिश्रमिक**

| पदनाम/रैंक | समय सीमा के साथ राशि |
|---|---|
| सदस्य | जब 45 दिनों तक जांच की कार्यवाही पूरी हो जाती है: रु.70000/-<br>जब जांच की कार्यवाही 45 दिनों से अधिक तथा 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है: रु.45000/-<br>जब जांच की कार्यवाही 90 दिनों तक पूरी हो जाती है: रु.35000/- |
| कार्यपालक निदेशक | जब 45 दिनों तक जांच की कार्यवाही पूरी हो जाती है : रु.55000/-<br>जब जांच की कार्यवाही 45 दिनों से अधिक तथा 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है: रु.35000/-<br>जब जांच की कार्यवाही 90 दिनों तक पूरी हो जाती है: रु.25000/- |
| उप महाप्रबंधक व इससे ऊपर के स्तर | जब 45 दिनों तक जांच की कार्यवाही पूरी हो जाती है: रु.30000/-<br>जब जांच की कार्यवाही 45 दिनों से अधिक तथा 90 दिनों तक पूरी हो जाती है: रु.20000/-<br>जब जांच की कार्यवाही 90 दिनों तक पूरी हो जाती है: रु.15000/- |

जांच अधिकारी को मानदेय का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

i. जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से (30) तीस दिनों के भीतर पात्रता के अनुसार एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

ii. प्रत्येक आरोपित अधिकारी के लिए 10% अतिरिक्त, यदि आरोपित अधिकारी एक से अधिक हैं।

iii. जांच अधिकारियों को उसी स्टेशन से नियुक्त करने के प्रयास किए जाएं जहां आरोपित अधिकारी तैनात है। तथापि, यदि जांच हेतु जांच स्थल से बाहर जाने के लिए दौरा करना पड़े तो भाविप्रा के समान स्तर के अधिकारी की पात्रता के अनुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/होटल आवास विनियमित किया जाएगा और भाविप्रा द्वारा प्रदान किया जाएगा।

iv. अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित छह महीने के भीतर जांच पूरी की जानी आवश्यक है। अनुशासनिक मामलों की संख्या को एक ही समय में प्रत्येक जांच अधिकारी के लिए चार (4) मामलों तक सीमित किया जा सकता है।

v. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट की स्वीकृति पर ही राशि/मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

vi. जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त उन अधिकारियों को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा, जिन्हें बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले किन्हीं कारणों से बदल दिया गया हो।

vii. जांच अधिकारी को मानदेय का भुगतान करने से पहले, सभी मामले के रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट, जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंप दी जानी चाहिए।

**<u>कार्य विवरण</u>**

i. जांच अधिकारी/जांच प्राधिकारी की नियुक्ति भाविप्रा कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2003 के अनुसार या समय-समय पर संशोधित के अनुसार की जाएगी।

ii. भाविप्रा के किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें जांच करने के लिए मामलों को सौंपा जा सकता है।

iii. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट भाविप्रा के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसने जांच अधिकारी की नियुक्ति की थी।

iv. पैनल में शामिल अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त/हटाया जा सकता है।

**<u>कार्य करने के लिए सुविधाएं:</u>**

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेखन सामग्री/डाक सामग्री के अलावा जांच करने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

**<u>पैनल का स्थान</u>**:

आवंटित मामले के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी भी ईकाई/ कार्यालयों में ।

**<u>अन्य:</u>**

(i) जांच अधिकारी स्वयं को किसी अन्य व्यावसायिक कार्य या सेवा में संलग्न नहीं कर सकेगा, जिससे जांच प्राधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप होने की संभावना है।

(ii) जांच अधिकारी केवल भाविप्रा के कार्यालय परिसर में या आरोपित अधिकारी/गवाह आदि के तैनाती स्थल पर जांच की कार्यवाही कर सकेगी ।

(iii) भाविप्रा सेवानिवृत्त अधिकारियों से किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए पैनल के निबंधन एवं शर्तों को बदलने/संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी क्रम में भाविप्रा संबंधित पैनल किया हुआ जांच अधिकारी को कोई कारण बताए या नोटिस दिए बिना पैनल को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iv) जांच अधिकारी के रूप में पैनल किया हुआ सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(v) सेवानिवृत्त अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 'मामला दर मामला' के आधार पर जांच का कार्य सौंपा जाएगा।

(vi) सेवानिवृत्त अधिकारी जांच के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों या उसके द्वारा एकत्र की गई जानकारी/डेटा के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और केवल उसे सौंपे गए मामले में जांच के उद्देश्य से इसका उपयोग करेगा। जांच के दौरान अथवा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ऐसे कोई दस्तावेज/सूचना अथवा आंकड़े की जानकारी किसी को नहीं दे सकेगा।

(vii) जांच अधिकारी को जांच के लिए सौंपे गए सभी रिकॉर्ड / दस्तावेजों / कार्यवाही आदि की सख्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उनके पास उपलब्ध सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट आदि विधिवत रूप से उस प्राधिकारी को लौटाना होगा जिसने उन्हें जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था।

(viii) सेवानिवृत्त अधिकारी को संबंधित विभाग/संगठन द्वारा फर्नीचर और लॉक करने योग्य अलमारी के साथ एक कमरा प्रदान किया जाएगा, जो वह जांच के दिनों में उपयोग कर सकेंगे।

(ix) सेवानिवृत्त अधिकारी को उस विभाग/संगठन द्वारा लेखन/डाक सामग्री प्रदान की जाएगी, जो वह प्रयोग कर सकेंगे;

**<u>आवेदन कैसे करे:</u>**

शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यों के अनुभव संबंधी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन <u>अनुशासनात्मक प्रकोष्ठ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ए-ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली -110003 को 17 अगस्त, 2018 तक या उससे पहले</u> भेज दें ।

***नोट :***

1. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि यह पैनल एक निश्चित अवधि के लिए है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति का प्रस्ताव अथवा नियमित रोजगार के रूप में नहीं माना जाए ।

2. पारिश्रमिक और ऊपर उल्लिखित अन्य विवरण के अलावा नियुक्त उम्मीदवार किसी भी अन्य अनुलाभ / सुविधाओं आदि के हकदार नहीं होंगे।

**भाविप्रा में विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल हेतु आवेदन**

1. पूरा नाम: ..... कर्मचारी संख्या: . .....
2. पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय): ..... .....
3. अंतिम कार्य करने वाले विभाग का नाम : .....
4. जन्म तिथि और आयु (वर्ष) : .....
5. लिंग (पुरुष / महिला): .....
6. क्या अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व से संबंधित है : .....
7. वर्तमान निवास स्थान : ..... .....:
   (पूर्ण डाक पते के साथ) : .....
8. निवास का स्थायी स्थान:.....
9. मोबाइल नं. . .....
10. दूरभाष सं. (निवास) .....
11. ई-मेल पता : .....
12. शैक्षणिक योग्यता

| योग्यता स्नातक से प्रारंभ करें | विश्वविद्यालय/संस्थान | उत्तीर्ण वर्ष | प्रतिशत/ग्रेड डिवीज़न | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

13. कंप्यूटर प्रवीणता: (कृपया इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दें)
14. व्यावसायिक अनुभव का विवरण:

| क्र.सं. | धारित पद/पदनाम | कार्य की प्रकृति /अनुभव | अवधि लगभग (वर्ष) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

15. क्या आपको कभी जांच अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है?----------

16. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें

(नोट) कृपया संबंधित संगठनों से प्राप्त जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ सेवा मामलों/सेवा प्राप्त करने के संबंध में/वस्तुओं की खरीद/एलएसटीके संविदाओं आदि से संबंधित जांच के प्रकार और संख्या के साथ साथ जांच की कार्यवाही से संबंधित अनुभव का उल्लेख करें।

17. जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने के स्थल का विकल्प:.....
18. अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन के साथ): .....
19. क्या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुए:.....
20. क्या सेवा काल के दौरान आप पर कोई शास्ति लगायी गई थी:.....
21. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें :.....

**<u>वचनबद्धता</u>**

1. मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा।
2. नियुक्ति स्वीकार करते समय मैं यह वचन दूंगा कि आरोपित अधिकारी का मुझसे किसी भी तरह से संबंध नहीं है।
3. मैं प्राप्त दस्तावेजों या जांच के संबंध में मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी/डेटा के संबंध में सख्त गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखूंगा और इसका उपयोग केवल मुझे सौंपे गए मामले में जांच के उद्देश्य से करूंगा। जांच के दौरान या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ऐसे कोई दस्तावेज/सूचना या डेटा संबंधी जानकारी किसी को भी नहीं दूंगा। मैं सभी रिकॉर्ड/दस्तावेजों/कार्यवाही आदि की सख्त गोपनीयता बनाए रखूंगा। जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सभी रिकॉर्ड, रिपोर्ट आदि जांच रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय उस प्राधिकारी को विधिवत लौटा दी जाएगी जिसने मुझे इस रूप में नियुक्त किया है।
4. मैं वचन देता हूं कि मेरे अतिरिक्त कार्य/अन्य कार्य के कारण जांच अधिकारी के कार्य का निष्पादन प्रभावित नहीं होगा।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

तिथि:.....

स्थान : .....